पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, पटना-800001

१९५२

पटना कारपोरेशन

सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक की कार्यवाही

दिनांक :- 26.06.2023

समय :- 12:30 बजे अपराह्न

स्थान :- महापौर कार्यालय कक्ष, मौर्यालोक कम्प्लेक्स, पटना।

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.	रेशमी कुमारी	सीता साहू
नगर आयुक्त	उप महापौर	महापौर
पटना नगर निगम	पटना नगर निगम	पटना नगर निगम

दिनांक-26.06.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की चतुर्थ साधारण बैठक माननीया महापौर, श्रीमती सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निम्नांकित माननीया/माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया, जिनकी उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

1. **श्रीमती सीता साहू - महापौर, पटना नगर निगम।**
2. श्रीमती रेशमी कुमारी - उप महापौर, पटना नगर निगम।
3. श्रीमती श्वेता राय - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
4. श्रीमती कान्ति देवी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
5. श्रीमती कावेरी सिंह - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
6. श्री आशीष कुमार सिन्हा - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
7. श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
8. श्री मनोज कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।
9. श्री विनोद कुमार - सदस्य, सशक्त स्थायी समिति।

<u>निगम प्रशासन</u>

01. श्री अनिमेष कुमार पराशर,भा.प्र.से. - नगर आयुक्त, पटना आयुक्त
02. श्रीमती शीला ईरानी (भा.पु.से.) - अपर नगर आयुक्त
03. श्री राकेश कुमार झा - उप नगर आयुक्त
04. श्री अभिषेक आनन्द - उप नगर आयुक्त-सह- नगर सचिव
05. श्री प्रभात रंजन - कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल
06. श्री सुरेश प्र. सिंह - निदेशक शहरी योजना, पटना नगर निगम
07. श्री सुरेन्द्र कुमार सिन्हा - मु0नगर अभियंता, पटना नगर निगम।
08. श्री विजय कुमार - कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय
09. श्री सुजित कुमार - कार्यपालक अभियंता, जलापूर्ति प्रमंडल
10. श्री बबलू कुमार गुप्ता - कार्यपालक अभियंता(विधुत)
11. श्री सुभाष चन्द्र श्रो०र्य - कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी प्रमंडल
12. श्री संजय कुमार सिन्हा - निबंधक, मुख्यालय
13. श्रीमती गीता कुमार - उप निबंधक,

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

14. श्री विश्वनाथ सिंह - उप निबंधक,
15. श्री अंजनी कुमार - उप निबंधक, कंकड़बाग अंचल
16. श्री प्रभात सौरभ - उप निबंधक, पाटलिपुत्र अंचल
17. श्री अशोक कुमार - उप निबंधक, नूतन राजधानी अंचल
18. श्री रवि रंजन - उप निबंधक, अजिमाबाद अंचल
19. श्री अवधेश कु0 सिंह - निजी सहायक
20. श्री विलास मांझी - निजी सहायक

अध्यक्ष :- बैठक में उपस्थित उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत करती हूँ।

नगर आयुक्त :- माननीया महापौर की अनुमति से बैठक की कार्रवाई शुरू की जाती है। नगर सचिव, कार्यसूची को पढ़ें।

नगर सचिव :- बैठक में उपस्थित माननीया महापौर, उप-महापौर, सशक्त स्थायी समिति के सभी सदस्य, नगर आयुक्त एवं बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत है:-

मद सं0-01 :- **दिनांक-11.05.2023 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि के संबंध में।**

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया,कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी:- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 38 :- **सर्वसम्मति से दिनांक-11.05.2023 को हुई सशक्त स्थायी समिति की तृतीय साधारण बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया जाता है।**

मद सं0-02 :- **पटना नगर निगम में (सभी अंचल एवं मुख्यालय) में हो रहे जन्म-मृत्यु कार्य की समीक्षा।**

अध्यक्ष :- सभी अंचल एवं मुख्यालय में जन्म एवं मृत्यु के निबंधन की समीक्षा का प्रस्ताव है। नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- सभी अंचल एवं मुख्यालय से जन्म-मृत्यु के निबंधन करने वाले निबंधक, उप-निबंधक बैठक में उपस्थित हैं। जन्म एवं मृत्यु के निबंधन की क्या प्रक्रिया है। किन-किन कागजातों की आवश्यकता है। स्पष्ट करें।

उप-निबंधक(मु0) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए 30 दिनों के अन्दर यदि आवेदक निर्धारित प्रपत्र को भर कर निगम में आवेदन करते है तो उन्हें जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है। निगम क्षेत्र में निबंधित अस्पतालों के द्वारा भी Online आवेदन कर देने पर निगम द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है।

परन्तु एक माह से ऊपर होने पर आवेदक को शपथ पत्र के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा कर देने के उपरान्त निगम द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

निगम क्षेत्र के श्मशान घाट/कब्रिस्तान आदि के मृत्यु निबंधन पंजी में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर भी मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया के माध्यम से नगर आयुक्त, महोदय को बताना चाहता हूँ कि सभी अंचल में उप-निबंधक / सहायक निबंधक है, लेकिन निगम कार्यालय में उन्हें बैठने के लिए व्यवस्था नहीं हैं। इस कारण वे निगम के अंचल कार्यालय में समय नहीं दे पा रहे है। ये सभी अपने-अपने पैतृक विभाग में कार्यरत हैं और प्रभारी के रूप में निगम में कार्यरत हैं। समय मिलने पर निगम के कार्यालय में आते हैं। जिसके कारण आम नागरिकों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। मेरा सुझाव है कि इन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु अंचलों/मुख्यालय में कार्यालय की व्यवस्था की जाय। साथ ही इनके अंचलों/मुख्यालय में बैठने का समय भी तय होना चाहिए।

नगर आयुक्त :- सभी निबंधक ससमय आवेदनों का निष्पादन कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- मैं माननीया अध्यक्ष महोदया के माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि जब आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र दिया जाता है तथा सभी कागजातों के जाँचोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा कर दी जाती है तब निगम के उप-निबंधक पार्षदों से क्यों अनुशंसा माँगते हैं।

उप-निबंधक :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए पार्षद महोदय से अनुशंसा प्राप्त करना है इसके लिए सरकार ने उन्हें सूचक बनाया है।

नगर आयुक्त :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना से विचार-विमर्श कर जन्म-मृत्यु के संबंध में दिशा-निर्देश सभी अंचलों में भेजा जाए। जिससे जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मद सं0-03 :- **पटना नगर निगम क्षेत्र में कुत्ते की बढ़ते हुए आबादी को देखते हुए नसबंदी कार्यक्रम के संबंध में।**

अध्यक्ष :- कुत्ते की बढ़ते हुए आबादी को देखते हुए नसबंदी कार्यक्रम का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- अपर नगर आयुक्त, कुत्ते को पकड़ने एवं बंध्याकरण की कार्रवाई से सदस्यों को अवगत करायें।

अपर नगर आयुक्त :- माननीया अध्यक्ष महोदया, लावारिस कुत्ते को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है तथा उनका बंध्याकरण करने के कुछ दिन के बाद उसी स्थल पर छोड़ दिया जाता है।

मद सं0-04 :- **दैनिक /संविदा /आउटसोर्सिंग(सभी एजेंसी) के कर्मियों को पी0एफ0/ ई0एस0आई0 के कटौती की विवरणी।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम मुख्यालय तथा अंचल कार्यालय में कार्यरत दैनिक एवं संविदा के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भविष्य निधि का अंशदान कटौती कर जमा की जाती है। इस संबंध में लेखा शाखा द्वारा विवरण प्रस्तुत किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि पटना नगर निगम के कर्मी मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रितों को पी0एफ0 का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। वार्ड संख्या-62 में एक कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो गई। उसके सभी कागजात भविष्य निधि में जमा करा दिये गये हैं पर उसके बाद भी मृतक के आश्रित को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। निगम के द्वारा इस कार्य के लिए जो पदाधिकारी, कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं, उन्हें इसके निराकरण करने हेतु पहल करना चाहिए।

सी0ए0 टीम :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नवम्बर, 2022 तक सभी कर्मचारियों का EPF तथा ESIC कटौती कर जमा करा दिया गया है एवं आगे की कार्रवाई हो रही है। कर्मचारियों के सभी कागजात विभाग को समय पर भेजने के बाद भी विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नगर आयुक्त :- इस विषय के संबंध में मेरे माध्यम से विभाग को पत्र भेजा जाय तथा सरकार को भी अवगत कराया जाय।

मद सं0-05 :- **वार्ड कार्यालय के किराये के बढ़ोत्तरी के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वार्ड कार्यालय के किराये के बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-4057, दिनांक-28.07.2008 के आलोक में वार्ड कार्यालय के लिए 500/- प्रति माह के दर से किराया भुगतान किया जाता था। दिनांक-06.01.2018 को हुई सशक्त स्थायी समिति के मद संख्या-02, प्रस्ताव संख्या-75 में लिये गये निर्णय के आलोक में 500/- से बढ़ाकर 1000/- रू0 प्रति माह किया गया था। पुनः किराये के बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव मँहगाई को देखते हुए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :-माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक-4057, दिनांक-28.07.2008 के अनुसार वार्ड कार्यालय के किराया का भुगतान निगम मद/ मैचिंग ग्रांट से करना है। उसी के आलोक में दिनांक-06.01.2018 को हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में 500/- से

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

बढ़ाकर 1000/- प्रति माह कार्यालय किराया भुगतान किया जा रहा है। जिसका आदेश ज्ञापांक-1735,दिनांक-26.02.2018 द्वारा निर्गत किया गया है।

अध्यक्ष महोदया, 2008 के बाद 2018 में कार्यालय किराया में बढ़ोत्तरी हुई। आज के दिन में 1000/- रू0 में कहीं भी किराये पर कोई कमरा नहीं मिल सकता है। इसलिए वार्ड कार्यालय के किराये में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि वार्ड कार्यालय का किराया बढ़ती महँगाई को देखते हुए 5000/-(पाँच हजार) रू0 मासिक किया जाय।

नगर आयुक्त :- रेट फिक्सेशन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से परामर्श प्राप्त कर लेते है। कई वार्डो में स्मार्ट सिटी द्वारा जन सेवा केन्द्र बनाये गये हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा निगम को उसे हस्तान्तरित करने की कार्रवाई की जा रही है। हस्तान्तरण के उपरान्त उसी में वार्ड कार्यालय भी चलाया जायेगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, किराया निर्धारण के लिए जहाँ तक अनुमंडल पदाधिकारी से विमर्श करने की बात है, इस संबंध में मेरा मानना है कि 75 वार्ड में अलग-अलग स्थलों पर वार्ड कार्यालय चल रहा है तथा अलग-अलग स्थल होने के कारण उनके कार्यालय किराया का निर्धारण अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से कराने पर भिन्न-भिन्न होगा। मेरे समझ से कार्यालय किराया में एकरूपता होनी चाहिए। मँहगाई को देखते हुए वार्ड कार्यालय का किराया बढ़ाने की आवश्यकता है। इसे बढ़ाया जाय।

नगर आयुक्त :- एक हजार रू0 से पाँच हजार रू0 किराया बढ़ाना उचित नहीं होगा। मैं सहमत हूँ कि कार्यालय का किराया बढ़ाया जाय।

श्री मनोज कुमार :- मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय। नगर आयुक्त महोदय, तत्काल 2500/-रू0 मासिक कार्यालय किराया पर स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं भी इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया मंहगाई को देखते हुए किराये में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 39 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड कार्यालय के किराये को 1000/-रू0 से बढ़ाकर 2500/-रू0 प्रति माह करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।

मद सं0-06 :- प्रत्येक वार्ड में 10-10 हाथ गाड़ी की आपूर्ति के संबंध में।

अध्यक्ष :- गलियों से कूड़ा उठाव के लिए प्रत्येक वार्ड में 10-10 हाथ गाड़ी की आपूर्ति करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- जिन वार्डों में गाड़ियों का आवागमन सुलभ नहीं है, वहाँ हाथ गाड़ी के माध्यम से कूड़े का उठाव होता है। इस संबंध में प्रत्येक वार्ड में 10-10 हाथ गाड़ी आपूर्ति करने से संबंधित प्रस्ताव है। जिसकी स्वीकृति हेतु संलेख सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हाथ गाड़ी की मांग हर बैठकों में उठती है। हाथ गाड़ी बराबर टूटते रहता है और उसको मरम्मति कराकर काम में लाया जाता है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हाथ गाड़ी के आपूर्ति होने से सिटी क्षेत्र के गलियों से कूड़े के उठाव में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- इस प्रस्ताव से सभी वार्डों में कूड़ा उठाव में तेजी आएगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- यह प्रस्ताव निगम एवं जनहित में है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 40 :- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड में कूड़ा उठाव हेतु 10-10 हाथ गाड़ी क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मद सं0-07 :- भू-सम्पदा शाखा को सुदृढ़ बनाने हेतु (क)अमीन एवं कर्मी उपलब्ध कराना,(ख) वाहन उपलब्ध कराना (ग) गुलजारबाग सर्वे ऑफिस से म्युनिसिपल सर्वे नक्शा (शीट 1 से 308 नं0 तक)

महापौर
पटना नगर निगम

(घ) नगर निगम के सभी भूमि का दाखिल खारिज कराने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भू-सम्पदा शाखा को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।आज निगम के पास ये जानकारी नहीं है कि उनकी जमीन कहाँ-कहाँ है। ये दुर्भाग्य है। प्रत्येक वर्ष बजट के साथ सम्पत्ति तालिका भी आनी चाहिए। जो कि नहीं आ रहा है। निगम के बहुत सारे जमीनों पर भू-माफियाओं की नजर है। इसलिए जरूरी है कि निगम अपने जमीन को चिन्हित करे तथा उसका घेराबंदी सुनिश्चित करे। इसके लिए उस शाखा को अमीन, कर्मचारी एवं वाहन उपलब्ध कराना होगा। गुलजारबाग प्रेस से नक्शा एवं अन्य कागजातों को प्राप्त करना होगा। मेरा सुझाव है कि भू-सम्पदा शाखा को गतिशील बनाने के लिए अमीन, कर्मचारी एवं वाहन के साथ-साथ अन्य सुविधा भी उपलब्ध करायी जाय।

नगर आयुक्त : निगम के जमीन का चिन्हीकरण कर घेराबंदी कराना जरूरी है। आज जो प्रस्ताव पारित किया जायेगा। उसके आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

सहायक अभि0(मुख्यालय) :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगम के बहुत सारे अभिलेख(कागजात) कैथी लिपि में है। कैथी लिपि पढ़ने वाले लोगों को रखना होगा।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सदस्य का प्रस्ताव निगमहित में है; प्रमंडल/मुख्यालय स्तर पर अमीन को रखा जाय। कैथी लिपि पढ़ने वाले व्यक्ति को आउटसोर्स से रखा जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, भू-सम्पदा शाखा को इस कार्य के लिए वाहन की जरूरत होगी। उन्हें वाहन भी उपलब्ध कराया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, अमीन को सहयोग करने के लिए कुछ कर्मी की भी आवश्यकता होगी। इसलिए अमीन के साथ-साथ कर्मी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कैथी लिपि पढ़ने वाले व्यक्ति को आउटसोर्स से रखा जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कान्ति देवी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर : माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हूँ। निगमहित में इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या-41 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के परिसम्पत्तियों के चिन्हिकरण हेतु 06 प्रमंडल एवं मुख्यालय के लिए 07 अमीन, 14 कर्मी, कैथी लिपि पढ़ने वाले कर्मी, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति आउटसोर्स से करने, एजेंसी के माध्यम से एक वाहन रखने तथा गुलजारबाग सर्वे ऑफिस से म्युनिसिपल सर्वे नक्शा शीट संख्या 01 से 308 तक एवं कैडस्टल सर्वे नक्शा हेतु Total Station Machine प्राप्त करने की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद सं0-08 :- **स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु Material Recovery Facility (एम0आर0एफ0) एजेंसी के चयन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- स्वच्छता सर्वेक्षण हेतु Material Recovery Facility एजेंसी के चयन का प्रस्ताव है। नगर आयुक्त स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आ रही है। एम0आर0एफ0 संचालन के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जा सकता है एवं एजेंसी चयन होने तक टीम के आगमन के दृष्टिगत एम0आर0एफ0 के निःशुल्क संचालन पर निर्णय लिया जा सकता है। **Mauryan Kars Auto Services (LLP)** के द्वारा निगम क्षेत्र में **No Profit No Loss** के आधार पर कार्य करने का प्रस्ताव है। दूसरे शहरों में कचरा की ऑनलाईन बिक्री हो रही है। उक्त एजेंसी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के रैंकिंग एवं कचरा मुक्त शहर के स्टार रैटिंग में सुधार हेतु निगम स्वामित्व वाले एम0आर0एफ0 को हटाने में निःशुल्क कार्य करेगी। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एम0आर0एफ0 संचालन के लिए **Mauryan Kars Auto Services (LLP)** ने यदि निःशुल्क कार्य करने हेतु प्रस्ताव दिया है तो अच्छा है। यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसकी स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसकी स्वीकृति दी जाय।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह कार्य निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

उप-महापौर :- यह कार्य निगमहित है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव संख्या- 42 : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि **Material Recovery Facility (एम0आर0एफ0) कार्य के संचालन हेतु Mauryan Kars Auto Services (LLP) को कार्य करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-**

1. **उक्त कार्य के एवज में एजेंसी को कोई भी शुल्क भुगतान नहीं किया जायेगा।**
2. **एजेंसी को एक वर्ष के लिए Material Recovery Facility कार्य के संचालन की जिम्मेवारी दी जाती है।**

मद सं0-09 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों एवं स्थानों पर हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन के संबंध में।**

अध्यक्ष :- 50 हाईमास्ट लाईट लगाने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुख्य चौराहों, मुख्य मार्गो एवं गोलम्बरों पर पर्याप्त रौशनी नहीं रहने के कारण सड़कों पर अंधेरा रहता है। पहले 30 स्थानों पर हाईमास्ट लाईट लगाने का प्रस्ताव है। उक्त कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है। जिसकी प्राक्कलित राशि 1,50,87,313/- है। जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इस राशि की तकनीकी स्वीकृति मुख्य नगर अभियंता, पटना नगर निगम द्वारा प्राप्त है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा सुझाव है कि रामाचक बैरिया में भी हाईमास्ट लाईट लगाया जाय; क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में रौशनी नहीं है।

नगर आयुक्त :- रामाचक बैरिया में एल0ई0डी0 हाईमास्ट लाईट लगाया जायेगा। एल0ई0डी0 से बिजली की खपत कम होगी। 50 हाईमास्ट लाईट की स्वीकृति दी जा सकती है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना शहर के सौन्दर्यीकरण को देखते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मालसलामी क्षेत्र में भी हाईमास्ट लाईट लगाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- यह अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- वार्ड संख्या-30 में भी हाईमास्ट लाईट लगाने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

नगर आयुक्त :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत, हाईमास्ट लाईट लगाने हेतु कार्रवाई करें।

प्रस्ताव सं0- 43 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र में कुल 50 स्थानों पर जिसमें प्रथम चरण में पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत 30 मुख्य चौराहों एवं स्थानों पर हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन जिसकी प्राक्कलित राशि 1,50,87,315/- (एक करोड़ पचास लाख, सतासी हजार तीन सौ पन्द्रह)रू0 है के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

मद सं0-10 :- **राजस्व संग्रहण हेतु एजेंसी के संबंध में।**

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, राजस्व संग्रहण हेतु आपके माध्यम से एजेंसी के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दिया गया है, उस संबंध में जानना चाहता हूँ कि निगम के राजस्व संग्रहण के बढ़ोतरी के संबंध में उनका प्रस्ताव क्या है? वर्तमान वित्तीय वर्ष में निगम के द्वारा जो राजस्व की प्राप्ति की गई है उसके अलावा उनके द्वारा निगम के राजस्व को कैसे बढ़ाया जायेगा तथा उसके लिए निगम को क्या व्यय करना होगा? ये स्पष्ट करने की जरूरत है।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम के राजस्व संग्रहण को 250 करोड़ के ऊपर ले जाना है। इसके लिए प्रस्ताव स्पष्ट करें। निगम को कितना व्यय करना होगा।

PATNA MUNICIPAL CORPORATION पटना नगर निगम

महापौर
पटना नगर निगम

एजेंसी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम के द्वारा जो अभी कुल सर्वेक्षित होल्डिंग है, उसको भी असेसमेंट के द्वारा राजस्व को बढ़ाया जायेगा। इसके अलावा तकनीक के द्वारा नये होल्डिंग का असेसमेंट किया जायेगा। मुझे भरोसा है कि पटना नगर निगम के राजस्व संग्रहण को 250 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुँचाया जा सकता है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्त्तमान में नगर निगम के द्वारा जो राजस्व संग्रहण किया जा रहा है, उसे छोड़ कर जो राजस्व संग्रहण किया जायेगा उसी में से एक राशि जो निगम के द्वारा निर्धारित की जायेगी। वह एजेंसी को प्राप्त होगी। पूर्व में भी नगर निगम राजस्व संग्रहण करने वाली एजेंसी को निर्धारित राशि का भुगतान एकरारनामा के शर्तों के अनुसार करती थी।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, नगर आयुक्त महोदय, इसे ठीक से समझ लें तथा निगमहित में जो बेहतर हो वैसा प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लायें।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, हम सब राजस्व संग्रहण के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑन लाईन पेमेंट करने वालों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। यदि एजेंसी हमें अतिरिक्त राजस्व संग्रहण करने तथा राजस्व संग्रह को 250 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुँचाने का कार्य करती है तथा उसके एवज में निगम को कम राशि का भुगतान करना पड़ता है तो नगर आयुक्त इस पर अपने स्तर से मंथन कर ठोस प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लायें।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, निगमहित को देखते हुए इस संबंध में ठोस प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ लाया जाय।

प्रस्ताव सं0- 44 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम के द्वारा वर्त्तमान में किये जा रहे राजस्व संग्रहण के अतिरिक्त एजेंसी के माध्यम से राजस्व संग्रहण को बढ़ाने हेतु ठोस प्रस्ताव तैयार कर सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लाने के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।**

मद सं0-1 :- **सफाई व्यवस्था हेतु एजेंसी रखने, जो अपने स्तर से गाड़ी, चालक, ईंधन एवं रख-रखाव की व्यवस्था करें।**

महापौर
पटना नगर निगम

अध्यक्ष :- नगर आयुक्त साहब, प्रस्ताव को स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- सफाई कार्य हेतु एजेंसी को रखना है। एजेंसी को वाहन, चालक, ईंधन एवं रख-रखाव स्वयं करने से संबंधित प्रस्ताव है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जो भी एजेंसी आये उसके एकरारनाम में यह पहला शर्त होनी चाहिए कि निगम के सफाई वाहनों को वह किराये पर लें उसके अलावे वह अपना भी वाहन रखें। इसमें निगम को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सड़कों की सफाई के लिए हम स्वीपिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो रात्रि में जो सफाई मजदूर कार्यरत हैं, उन्हें वापस कर दूसरे कार्य में लगाया जा सकता है एवं जिस वार्ड में मजदूर की कमी है, वहाँ कर्मी को लगाया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जहाँ ज्यादा मजदूर हैं, वहाँ कम किया जाय और जहाँ कम मजदूर हैं, वहाँ बढ़ाया जाय। अध्यक्ष महोदय, प्रायः यह देखा जा रहा है कि जितने मजदूर हैं उसमें से 20-25 मजदूर अनुपस्थित ही रहते हैं। एजेंसी के माध्यम से वाहन, चालक, ईंधन की आपूर्ति करना निगमहित में है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पूर्व की बैठकों में हम सब इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। सभी लोग इसके पक्ष में हैं। यह प्रस्ताव निगमहित में है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 45 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु एजेंसी रखने के प्रस्ताव को निम्न शर्तों के साथ सशक्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है :-**

1. **एजेंसी वाहन, चालक एवं ईंधन उपलब्ध करायेगी तथा वाहन का रख-रखाव भी एजेंसी ही करेगी।**
2. **निगम के सफाई कार्य में लगे वाहनों को उसे किराये पर लेना अनिवार्य होगा।**

नगर आयुक्त :- निविदोपरान्त दिनांक- 27.12.2022 को Mauryan Kars Auto Services LLP एजेंसी के साथ डोर टू डोर , ई-कार्ट, ओपेन टीपर, क्लोज टीपर पर

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

चालक के साथ हेल्पर हेल्पर मुहैया कराने से संबंधित एकरारनामा हुआ था। दिनांक-01.04.2023 से ई-कार्ट से हेल्पर को हटाने से संबंधित निर्देश एजेंसी को मौखिक रूप से दे दिया गया है। अब किसी भी ई-कार्ट पर अप्रैल माह से कोई हेल्पर कार्यरत नहीं है। एजेंसी के द्वारा पूर्व में एकरारनामा के अनुसार किये गये कार्यो के एवज में भुगतान करना आवश्यक है। आज की बैठक में एजेंसी को कार्य के विरूद्ध भुगतान करने से संबंधित निर्णय लेने की आवश्यकता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, जब एजेंसी के द्वारा एकरारनामा के अनुरूप कार्य किया गया है तो उसका भुगतान होना चाहिए।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, एकरारनामा के अनुसार जब एजेंसी ने कार्य किया है तो उसका भुगतान किया जाना चाहिए।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय पार्षद के विचार से सहमत हूँ। एजेंसी को कार्य के एवज में भुगतान किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 46:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Mauryan Kars Auto Services LLP एजेंसी को इनके द्वारा आपूर्ति किये हेल्पर के एवज में एकरारनामा की तिथि से भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद सं0-12 :- **चैती छठ, 2023 के अवसर पर विभिन्न गंगा घाटों पर अस्थायी चाली के निर्माण /सौन्दर्यीकरण कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- **चैती छठ, 2023 के अवसर पर व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।**

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों में चैती छठ पर्व मनाया जाता है। यह हिन्दुओं के आस्था का त्योहार है। चैती छठ 2023 के सफल आयोजन के लिए पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों की मरम्मति एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु कुल 50 योजनाओं का संबंधित अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया था

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

(सूची संलग्न)। जिसकी घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है। कार्य हो चुका है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह विषय चैती छठ 2023 के आयोजन के संबंध में है। जिसकी घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति देना है। कार्य हो चुका है। इसका भुगतान होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा:- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 47 :- **सर्वसम्मति से चैती छठ, 2023 के अवसर पर विभिन्न गंगा घाटों पर अस्थायी चाली के निर्माण /सौन्दर्यीकरण कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

मद सं0-13 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक शौचालयों एवं मूत्रालय की निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अत्याधुनिक शौचालयों एवं मूत्रालय के निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शौचालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। शौचालयों एवं मूत्रालयों की कमी अथवा जल संयोजन नहीं रहने के कारण निगम क्षेत्र में Yellow Spot अत्यधिक संख्या में चिन्हित किए गए हैं। सभी Yellow Spot को समाप्त करने एवं पटनावासियों की नागरीय सुविधाओं को देखते

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

हुए विभिन्न जगहों पर अत्याधुनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता है।

पटना नगर निगम में विभिन्न स्थलो पर शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण कार्य SBM 2.0 में दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार कराया जाना है। SBM 2.0 की मार्गदर्शिका के अनुसार शौचालयों Luxurious Bath Cubicles, Touchless Flushing, Breast Feeding Room, and Automatic Sanitary Napkins Incinerators की सुविधायुक्त रहेंगे।

अतः अत्याधुनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कार्य का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने के पूर्व स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना शहर में अत्याधुनिक शौचालय एवं मूत्रालय की कमी है। जिससे आम नागरिकों एवं आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। शौचालय एवं मूत्रालय के बनने से आम लोगों की परेशानी दुर होगी।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गुरू पर्व के अवसर पर मंगल तालाब, गुरू के बाग में देश-विदेश से काफी संख्या में यात्री आते हैं। इसका उन्हें लाभ मिलेगा साथ ही नगर निगम को अच्छी छवि बनेगी।

प्रस्ताव सं0- 48 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अत्याधुनिक शौचालयों एवं मूत्रालय निर्माण कार्य के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0म0सं0-01 :- **संयुक्त राष्ट्रसंघ की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNPFA) के एकरारनामा के अवधि विस्तार के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- संयुक्त राष्ट्रसंघ की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNPFA) के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, (**UNPFA**) की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उसकी अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाए।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम क्षेत्र में (**UNPFA**) द्वारा क्या-क्या कार्य किया जा रहा है, उसकी सूची सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भी रखा जाय। प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 49 **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की इकाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रकोष्ठ (UNPFA) के एकरारनामा के अवधि विस्तार की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।**

अति0मद सं0-02:- **निविदा में निविदादाता द्वारा हार्ड कॉपी जमा करने की बाध्यता के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, इस विषय को स्पष्ट करें।

मुख्य नगर अभियंता :- अध्यक्ष महोदया, पूर्व में निविदादाता द्वारा Hard Copy जमा किया जाता था लेकिन नगर आयुक्त महोदय के स्तर से Hard Copy जमा करने की बाध्यता पर रोक लगायी गयी है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, ऐसा देखा गया है कि निविदादाता द्वारा फर्जी कागजात अपलोड कर निविदा प्राप्त की जा रही है। अतः मेरा सुझाव है कि निविदाताओं से Hard Copy भी लिया जाय।

नगर आयुक्त :- सरकार के विभागों एवं पथ निर्माण विभाग में क्या प्रक्रिया है।

मुख्य नगर अभियंता :- Hard Copy के रूप में कुछ जरूरी कागजात एवं शपथ पत्र लिया जाता है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, इस संबंध में प्रशासनिक आदेश निर्गत किया जा सकता है।

अति0मद सं0-03:- **वर्ष 2011 की जनगणना एवं वर्तमान समय के जनसंख्या के आधार पर निगम के प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मी उपलब्ध कराने के संबंध में।**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, इस मद का जो संलेख/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। वह सही नहीं है, इसे सही कर अगली बैठक में लाया जाय।

अति0 मद सं0-04:- **वार्ड सं0-70 में पेभर्स लगाने के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-70 की छोटी गलियों में पेभर्स लगाने का प्रस्ताव है।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, वार्ड सं0-70 में श्री महावीर पंचायत समिति दाहुचक नगला के प्रांगण, नगला ठाकुरबाड़ी के प्रांगण एवं नगला शांति निकेतन रोड के दोनों तरफ फुटपाथ पर पेभर्स लगाने का प्रस्ताव है।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव जनहित का है, इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी के अधिकांश मुहल्लों में छोटी-छोटी गलियाँ हैं जहाँ ढलाई भी नहीं हो सकती। उन गलियों में पेभर्स लगने से आम नागरिकों को सहुलियत होगी।

प्रस्ताव सं0-50:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सं0-70 में निम्नांकित स्थानों पर पेभर्स लगाने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	श्री महावीर पंचायत समिति दाहुचक नगला के प्रांगण में	18,41,940/-
2	नगला ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में	9,14,515/-
3	नगला शांति निकेतन रोड के दोनों तरफ फुटपाथ पर	12,09,433/-

अति0मद सं0- 05:- **मारूफगंज मंडी में डीलक्स शौचालय निर्माण के संबंध में।**

अध्यक्ष :- मारूफगंज मंडी में डीलक्स शौचालय निर्माण का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- मारूफगंज मंडी देश के मंडियों में से एक है। जहाँ अन्य राज्यों एवं जिलों से व्यवसायी अपने व्यापार के लिए आते हैं। मंडी में आधुनिक डीलक्स शौचालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है। जहाँ भी शौचालय बने वह सभी

महापौर
पटना नगर निगम

सुविधाओं से युक्त हो। मुख्य नगर अभियंता स्थल पर जाकर शौचालय निर्माण हेतु प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, मारूफगंज मंडी में आकर्षक शौचालय का निर्माण होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 51:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मारूफगंज मंडी में डीलक्स शौचालय निर्माण के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0म0सं0-06 :- **जिला पदाधिकारी, पटना -सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-23.05.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक में 10 आवेदकों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- अनुकम्पा पर नियुक्ति का प्रस्ताव है, इसे स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दिनांक-23.05.2023 को जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक हुई। अनुकम्पा समिति द्वारा निगम के 10 आवेदकों के नियुक्ति हेतु अनुशंसा/ आदेश दिया गया, जिसकी सूची संलग्न है। इन आवेदकों को नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, जिलाधिकारी, पटना द्वारा 12 आवेदकों में से 10 आवेदकों को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु योग्य पाया गया है। जिसकी नियुक्ति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है। निगम में कर्मचारियों की कमी है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु कुछ आवेदकों की संचिका अंचल में है। उन्हें मंगाकर भी आगे की कार्रवाई की जाय।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- नगर आयुक्त साहब, अनुकम्पा पर जो आवेदक शिक्षित हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनसे काम लिया जाय।

महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0-52:- **सर्वसम्मति से जिला पदाधिकारी, पटना -सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक-23.05.2023 को सम्पन्न पटना नगर निगम अनुकम्पा समिति की बैठक में 10 आवेदकों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0म0सं0-07 :- **स्व0 चन्द प्रकाश सिंह, व्यक्ति विशेष सम्प्रति जोनल निरीक्षक, कंकड़बाग अंचल को सेवा काल में मृत्युपरान्त उनके आश्रित को 5 लाख रू0 उपलब्ध कराने के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- स्व0 चन्द्र प्रकाश सिंह, व्यक्ति विशेष सम्प्रति जोनल निरीक्षक, कंकड़बाग अंचल जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी है। उसके फलस्वरूप उनका आश्रित पत्नी मो0 बेबी देवी को 5 लाख रूपये मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- अध्यक्ष महोदया, निगम पर्षद की प्रथम विशेष बैठक बजट (2023-24) के प्रस्ताव सं0-03 में कार्य के दौरान दुर्घटना से दैनिक कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 05 लाख रू0 देने का प्रावधान किया गया है। इससे उनके आश्रित को काफी मदद मिलेगी। कार्यपालक पदाधिकारी, कंकड़बाग अंचल के द्वारा भी इस संबंध में अनुशंसा किया गया है।

श्री इन्ददीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। हमारे कर्मी दिन-रात मेहनत कर जनता की सेवा करते है। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव से सहमत हूँ।

उप महापौर :- अध्यक्ष महोदया, मृत्यु के बाद आश्रित को मिलने वाली राशि काफी सहारा देगी। इस प्रस्ताव को पास किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 53:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 चन्द प्रकाश सिंह, व्यक्ति विशेष सम्प्रति जोनल निरीक्षक, कंकड़बाग अंचल को सेवा काल में मृत्युपरान्त उनके आश्रित, पत्नी मो0 बेबी देवी को 5 लाख**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

रू0 का भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0म0सं0-08 :- **स्व0 संजय कुमार, पिता-लाल बाबु, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-09 नूतन राजधानी अंचल को दुर्घटना में मृत्यु के कारण उनके आश्रित को 5 लाख रू0 भुगतान के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- स्व0 संजय कुमार पिता लाल बाबु, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड सं0-09, नूतन राजधानी अंचल का कार्य अवधि में दुर्घटना में मृत्यु के फलरूवरूप उनकी आश्रित, पत्नी मो0 मानती देवी को 5 लाख रू0 मुआवजा देने की अनुशंसा की गयी है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी को कार्य अवधि में मृत्यु हो गयी है इसलिए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है इसलिए इसे पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0-54:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 संजय कुमार, पिता-लाल बाबु, दैनिक सफाई मजदूर, वार्ड संख्या-09 नूतन राजधानी अंचल को दुर्घटना में मृत्यु के कारण उनके आश्रित, पत्नी मो0 मानती देवी को 5 लाख रू0 भुगतान के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0म0सं0-09 :- **स्व0 संतोष कुमार, पिता- राज किशोर प्रसाद, दैनिक सफाई पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या-28, नूतन राजधानी अंचल को मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को 5 लाख रू0 भुगतान के संबंध में।**

नगर आयुक्त :- स्व0 संतोष कुमार, पिता- राज किशोर प्रसाद, दैनिक सफाई पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या-28, नूतन राजधानी अंचल जिनका कार्य अवधि में लू-लगने के कारण मृत्यु हो गयी है। इस कारण उनकी आश्रित पत्नी मो0 मोनी नाग को 5 लाख रू0 मुआवजा देने हेतु अनुशंसा की गयी है, जिसकी स्वीकृति हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह :- अध्यक्ष महोदया, कर्मचारी की कार्य अवधि में लू लगने से मृत्यु हो गयी है इसलिए उन्हें मुआवजा मिलनी चाहिए। इसे पारित किया जाय।

श्रीमती कान्ति देवी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 -55:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्व0 संतोष कुमार, पिता- राज किशोर प्रसाद, दैनिक सफाई पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या-28, नूतन राजधानी अंचल की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित पत्नी मो0 मोनी नाग को 5 लाख रू0 भुगतान की स्वीकृति सशक्त स्थायी समिति द्वारा प्रदान की जाती है।**

अ0 मद सं0- 10, **श्री विक्रम बैठा, सेवानिवृत सफाई निरीक्षक को एक वर्ष की संविदा अवधि विस्तार करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- श्री विक्रम बैठा, सेवानिवृत सफाई निरीक्षक, पटना नगर निगम को संविदा पर सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है। स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- श्री विक्रम बैठा, सफाई निरीक्षक जिनकी सेवा अवधि दिनांक-12.05.2023 को 65 वर्ष पूरी कर चुके हैं उनके 01 वर्ष सेवा विस्तार का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विक्रम बैठा सेवानिवृत सफाई निरीक्षक दिनांक-12.05.23 को 65 वर्ष पूरी कर चुके हैं। इनकी सेवा अवधि में टूट हो गयी है इस कारण इनका सेवा अवधि का विस्तार नहीं कर सकते हैं।

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, श्री बैठा की सेवाअवधि में टूट है। एक दिन भी टूट होने के कारण सेवाविस्तार करना नियम संगत नहीं होगा।
इस प्रस्ताव को रद्द किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, जब सेवा में टूट हो गयी है तो अवधि विस्तार नियम संगत नहीं होगा।

प्रस्ताव सं0- 56:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री विक्रम बैठा, सेवानिवृत सफाई निरीक्षक को एक वर्ष की संविदा विस्तार के प्रस्ताव को सेवा**

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अवधि में टूट होने के कारण सशक्त स्थायी समिति द्वारा रद्द किया जाता है।

अ०मद सं0–11 :- **विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि 84.60 करोड़ रूपये व्यय करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- वायु गुणवत्ता में सुधार का प्रस्ताव है। इसे स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- विभागीय पत्रांक-282, दिनांक-29.03.2022 के माध्यम से 77.25 करोड़ रू0 तथा पत्रांक-28, दिनांक-01.06.22 के द्वारा दिनांक-05.07.22 को 7.35 करोड़ कुल मिलाकर 84.60 करोड़ रू0 वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु पटना नगर निगम को प्राप्त हुआ है, जिसमें से परिवहन विभाग को 13.75 रू0 आवंटित किया जा चुका है। शेष राशि के व्यय का शीर्ष निम्न प्रकार से है :-

Sl. No	Activities	Amount	PRANA Portal Point
1	Immediate Lifting of solid Waste Generated From Disilting and Cleaning Of Municipal Drains	12,35,00,000.00	RD 1
2	Information Education and Communication	5,00,00,000.00	PO 1.4
3	O & M of Sweeping Machine	21,00,00,000.00	RD 1.5
4	End-to-end roads paving	12,00,00,000.00	RD 1.2
5	O & M of water sprinkler/smog gun Machine	5,50,00,000.00	RD 1.3
6	O & M Rent of Hywa	12,00,00,000.00	RD 1.5
7	O & M of C & D waste Machine	3,00,00,000.00	BB 1.5
8	Transport Department	13,75,00,000.00	VE 10.3, VE 6.5
	Total	84,60,00,000.00	

श्री इन्द्रदीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, नाला उड़ाही के मद में 12.35 करोड़ का उपबंध रखा गया है। नाला उड़ाही के मद में सरकार राशि नहीं दे रही है। क्या नाला उड़ाही के लिए राशि की मांग सरकार से की गयी है। अब तक नाला उड़ाही के लिए सरकार से पैसा आता रहा है। नाला उड़ाही के मद में निर्धारित 12.35 करोड़ की राशि का उपयोग हम 75 वार्डों में टूटी फूटी सड़क(जीर्णशीर्ण) सड़क निर्माण कार्य में कर सकते हैं। इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

सी.ए. :- अध्यक्ष महोदया, नाला उड़ाही के लिए राशि की मांग हेतु सरकार से पत्राचार किया गया है।

महापौर
पटना नगर निगम

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- 12.35 करोड़ की राशि का उपयोग टूटी-फूटी सड़कों के निर्माण में किया जाना उचित होगा। पूर्व में 8.80 करोड़ रू0 प्रदूषण मद से तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कर्णांकित किया गया था पर विभाग के द्वारा बताया गया है कि प्रदूषण मद की राशि का उपयोग तालाबों के जीर्णोद्धार में नहीं कर सकते है। मेरा सुझाव है कि उस राशि को End to End Road Paving के कार्य में लगाया जाय।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। प्रदूषण मद से वार्ड सं0-70 के अन्तर्गत स्थित नन्द गोला घाट पर विधुत शवदाह गृह बनाया जाय।

नगर आयुक्त :- सभी विद्युत शवदाह गृहों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया, शवदाह घाटों पर डोम राजा के द्वारा नागरिकों को काफी परेशान किया जाता है। दाह संस्कार के लिए दर का निर्धारण किया जाय साथ ही श्मशान घाट का नाम मोक्ष धाम रखा जाय।

नगर आयुक्त :- संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए दर निर्धारण सुनिश्चित करते हुए सशक्त स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव को लायें।

श्री इन्ददीप कुमार चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया के माध्यम से नगर आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि गुलबी घाट पर काफी संख्या में दाह संस्कार के लिए नागरिक आते हैं। बरसात के समय पानी बढ़ जाने पर गुलबी घाट के नीचे का प्लेटफॉर्म डूब जाता है जिसके कारण दाह संस्कार में असुविधा होती है। मेरा सुझाव है कि बरसात को देखते हुए शव जलाने हेतु ऊँचा प्लेटफार्म बनाया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, गुलबीघाट में बरसात के दिनों शव को जलाने हेतु ऊँचा प्लेटफार्म बनाने की आवश्यकता है।

श्री विनोद कुमार :- अध्यक्ष महोदया, श्मशान घाटों - खाजेकला, गुलबी घाट की पेन्टिंग खराब हो गयी है। वहां बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- मुख्य नगर अभियंता, तीनों घाटों (बांस घाट, गुलबी घाट एवं खाजेकला घाट) का सौन्दर्यीकरण और घाटों पर निर्माण का प्राक्कलन बनाकर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

श्री मनोज कुमार :- अध्यक्ष महोदया पिछले वर्षों में शव वाहन क्रय करने का प्रस्ताव पारित हुआ लेकिन शव वाहन का क्रय नहीं हो सका । निगम का शव वाहन रहने पर नागरिकों में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि 06 शव वाहन क्रय किया जाय और इसका शुल्क भी निर्धारण किया जाय।

अध्यक्ष महोदया, सात निश्चय के तहत जिन वार्डों में जीर्ण-शीर्ण योजना का कार्य पूरा हो गया है उसका भुगतान होना चाहिए।

प्रस्ताव सं0- 57:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु प्राप्त राशि 84.60 करोड़ रूपये व्यय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।** व्यय का शीर्ष निम्न प्रकार से है :-

Sl. No	Activities	Amount	PRANA Portal Point
1	Immediate Lifting of solid Waste Generated From Disilting and Cleaning Of Municipal Drains	2,35,00,000.00	RD 1
2	Information Education and Communication	5,00,00,000.00	PO 1.4
3	O & M of Sweeping Machine	21,00,00,000.00	RD 1.5
4	End-to-end roads paving	12,00,00,000.00	RD 1.2
5	O & M of water sprinkler/smog gun Machine	5,50,00,000.00	RD 1.3
6	O & M Rent of Hywa	12,00,00,000.00	RD 1.5
7	O & M of C & D waste Machine	3,00,00,000.00	BB 1.5
8	Transport Department	13,75,00,000.00	VE 10.3, VE 6.5
9	अविलम्ब सड़क निर्माण: Pothole free roads	10,00,00,000.00	
	Total	**84,60,00,000.00**	

उपरोक्त के अलावा पूर्व में प्रदूषण मद से तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कर्णांकित राशि 8.80 करोड़ को End to End Road Paving कार्य करने हेतु खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

महापौर
पटना नगर निगम

अ०मद सं०-12:- **पटना नगर निगम में 03 हाईड्रा क्रय करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- 03 हाईड्रा क्रय करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- निगम क्षेत्र में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में संलग्न बड़े वाहनों /मशीनों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हाईड्रा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। निगम के पास हाईड्रा नहीं रहने के कारण होर्डिंग एवं अन्य प्रकार के अतिक्रमण को हटाने में काफी समस्या होती है। समस्याओं से निपटने के लिए 03 हाईड्रा क्रय का प्रस्ताव है, सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है। हाईड्रा के क्रय होने से अवैध होर्डिंग को हटाने में मदद मिलेगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ, इसे पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :-माननीया अध्यक्ष महोदया, होर्डिंग को हटाने में हाईड्रा का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब हाईड्रा भाड़ा पर नहीं लेना होगा। इसके क्रय के लिए राशि का प्रबंध कहाँ से किया गया है।

उप-महापौर :- पटना नगर निगम का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ सड़कों पर काफी अतिक्रमण है। शहर में कई जगह अवैध होर्डिंग लगे हुए है, उन्हें हटाने की आवश्यकता है। इस कार्य में हाईड्रा का महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं०- 58:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम में विभिन्न प्रकार दायित्वों के निर्वहन, अतिक्रमण, बड़े वाहनों/मशीनों को स्थानान्तरण करने हेतु 03 हाईड्रा क्रय करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

नगर आयुक्त :- माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पटना की विभिन्न सड़कों यथा - बेली रोड, फ्रेजर रोड एवं अन्य प्रमुख सड़कों पर होर्डिंग लगाने के लिए निगम को चिन्हित करने का आदेश

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

दिया है। अब उन सड़कों एवं स्थानों पर निगम होर्डिंग / यूनिपोल लगा सकता है। इसका प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा।

अ0मद सं0-13:- **पटना नगर निगम का Software Development & Maintenance Of Software के रख-रखाव, देख-रेख एवं सुधार हेतु एजेंसी रखने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- Maas Info Solution Pvt. Ltd.की सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम का SoftwareDevelopment & Maintainance of Softwareको बनाने एवं इसके रख–रखाव, देख–रेख तथा आवश्यकतानुसार इसमें सुधार करने के लिए Maas Info Solution Pvt. Ltd.को निविदा प्रक्रिया के तहत चयनित कर कार्यालय आदेश पत्रांक–1190 दिनांक–10.06.2019 के द्वारा तीन वर्षों के लिए चयन किया गया था। जिसकी अवधि पूर्ण होने के उपरांत दिनांक– 02.06.2022 को आहूत सशक्त स्थायी समिति की 56वीं साधारण बैठक के मद संख्या– 15, प्रस्ताव संख्या– 779 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक– 14.03.2023 तक एक वर्ष के लिये सेवा अवधि का विस्तार किया गया था।पटना नगर निगम का Software Development & Maintainance of Software एवं Software के रख–रखाव का कार्य करने वाली चयनित एजेंसी Maas Info Solution Pvt. Ltd.की सेवा अवधि दिनांक– 14.03.2023 को समाप्त हो रही है। वर्तमान में इनके अतिरिक्त निगम द्वारा निम्न कार्य किये जा रहे हैं–

1. पटना नगर निगम का गृहकर Online collection (http://pmcptax.bihar.gov.in Portal) के माध्यम से राजस्व प्राप्त करने तथा आम नागरिकों द्वारा ऑन लाईन भुगतान करने के क्रम में होने वाली किसी भी तकनीकी समस्या का निवारण किया जाता है।
2. पटना नगर निगम का निजी सम्पत्ति (भू–सम्पदा शाखा) का मालगुजारी की राशि एवं रख–रखाव शुल्क ऑन लाईन लेने के लिये पोर्टल तैयार किया गया है तथा ऑन लाईन मालगुजारी की राशि एवं रख–रखाव शुल्क प्राप्त किया जाता है।
3. स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिये निगम के Website में आवश्यकतानुसार बदलाव करते हुये स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित सभी ऑन लाईन कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है।
4. पटना नगर निगम के वेबसाईट पर, नोटिस बोर्ड पर, आदेश, टेंडर, Transfer Posting को अपलोड किया जाने का कार्य किया जाता है।
5. पटना नगर निगम मुख्यालय में ई0 ऑफिस कार्य प्रणाली प्रारंभ है जिसमें सभी संबंधित शाखाओं के संचिकाओं का अपलोडिंग, माईग्रेशन एवं ई0 ऑफिस प्रणाली के तहत उत्पन्न तकनीकी समस्याओं का निराकरण होना आवश्यक है।
6. पटना नगर निगम का निगरानी शाखा में Online (http://103.76.208.239.98 E-Court Portal) प्रारंभ किया गया है जिसमें IT संबंधी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति/एजेंसी की आवश्यकता पड़ती है।
7. पटना नगर निगम में निदेशक शहरी योजना में निगम क्षेत्रांतर्गत बनने वाले नक्शा का Automap Application पर प्राप्त होने वाले राजस्व की देख–रेख करना तथा तकनीकी समस्या आने पर उसका निराकरण किया जाता है।
8. पटना नगर निगम के e-dak पोर्टल के निगरानी करना तथा IT संबंधी तकनीकी समस्या आने पर इसका निराकरण किया जाता है।

महापौर
पटना नगर निगम

उपरोक्त कार्यों में तकनीकी समस्या आने पर इसका निराकरण करने के लिये IT संबंधी ज्ञान प्राप्त व्यक्ति/एजेंसी की आवश्यकता पड़ती है।निगम में कार्य करने वाली एजेंसी Maas Info Solution Pvt. Ltd.कार्यावधि 14.03.2023 को समाप्त हो रही है।

यह प्रस्ताव Maas Info Solution Pvt. Ltd. की सेवा अवधि के विस्तार से संबंधित है। इसके अवधि विस्तार हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के विचारार्थ लाया गया है।

श्री आशीष कुमार सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पटना नगर निगम का Software Development & Maintenance Of Software के रख-रखाव, देख-रेख एवं सुधार हेतु एजेंसी के सेवा विस्तार का प्रस्ताव है। इसकी सेवा अवधि दिनांक-14.03.2023 को समाप्त हो चुकी है। संबंधित एजेंसी का एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह एजेंसी निगम के महत्वपूर्ण कार्य को देख रहा है। मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 59:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Maas Info Solution Pvt. Ltd. एजेंसी को पटना नगर निगम में Software Development & Maintenance Of Software हेतु दिनांक- 15.03.2023 से एक वर्ष के लिए पूर्व से निर्धारित शर्त पर अवधि विस्तार के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उक्त अवधि में नये एजेंसी का चयन संबंधी निविदा कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-14:- **श्री राजकुमार यादव,से.नि. हेल्पर (बांसघाट विद्युत शवदाह गृह) पटना नगर निगम को संविदा पर रखने के संबंध में।**

श्री राजकुमार यादव, हेल्पर, पटना नगर निगम को सेवा निवृति के बाद एजेंसी के माध्यम से संविदा पर रखने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

अध्यक्ष

महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- श्री राजकुमार यादव,से0नि0, हेल्पर पटना नगर निगम 31.01.2023 से सेवा निवृत हो चुके हैं। श्री यादव द्वारा सेवा निवृति के बाद संविदा पर नियोजन हेतु अनुरोध किया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के संकल्प और ज्ञापांक-4956, दिनांक-17.09.2018 में प्रावधान है कि नगर निकायों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वैसे सभी रिक्त पद जिसका नियुक्ति प्राधिकार नगर निकाय है। उन रिक्त पदों पर सेवा निवृत सेवकों का नियोजन किया जा सकेगा। सरकार द्वारा जारी सूची में हेल्पर का पद नहीं है। ऐसी स्थिति में इन्हें संविदा पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। परन्तु इनके कार्यों एवं अनुभव को देखते हुए इनकी सेवा बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत, पटना नगर निगम द्वारा भी बताया गया कि विद्युत शवदाह गृह के संचालन में इनकी सेवा की आवश्यकता है। कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा के आलोक में श्री राजकुमार यादव को नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-3453, दिनांक-29.06.2018 के आलोक में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सेवा लेने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, सरकार के पत्रांक-3453, दिनांक-29.06.2018 के द्वारा आउटसोर्सिंग से सेवा लेने का निर्देश प्राप्त है। जिसके अन्तर्गत इनकी सेवा मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ के रूप में लिया जा सकता है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- बाँस घाट विद्युत शवदाह गृह के संचालन में इससे काफी मदद मिलेगा। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार : माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

प्रस्ताव सं0- 60:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राजकुमार यादव,से.नि. हेल्पर (बांसघाट विद्युत शवदाह गृह) पटना नगर निगम को एजेंसी के माध्यम से नियोजन के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0मद सं0-15:- **15वें वित्त के SWM मद से तालाबों को विकसित, जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए योजनाओं को शामिल/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- तालाबों को विकसित, जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए योजनाओं को शामिल/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त:- पटना नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वार्डों में स्थित तालाबों का जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण अपेक्षित है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी विवरणी निम्न है:-

S.No	Name of Work	Estimated Amount
1	Development Pond Near Big Hospital in Ward No.-56 Under Azimabad Division PMC, Patna.	1,47,08,150/-
2	Renovation of Rajendra Agricultural College Talab in Ward No.-30 Under PMC, Patna.	1,97,71,163/-
3	Upgradation of Pond Near BSEB Examination Compound at Kumhrar in Ward No.-55	87,91,300/-

2 क्रमांक 02 पर वर्णित योजना को जल-जीवन हरियाली अंतर्गत शामिल करने हेतु विभाग को पत्र भेजा गया था, परन्तु विभाग द्वारा यह कहकर वापस कर दिया गया कि योजना का प्राक्कलन मॉडल प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है। चूंकि वर्णित योजना को पूर्व में ही 15th Finance के SWM से संबंधित Mandatory Projects "Rejuvenation of Water Bodies" के लिए Ministry को MOU के द्वारा अद्यतन किया गया है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

अतः क्रमांक 01 एवं 02 पर अंकित योजनाओं को 15वें वित्त के SWM मद में शामिल करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति तथा क्रमांक 03 पर वर्णित योजना को 15वें वित्त के SWM मद में शामिल करने हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रस्ताव है कि मंगल तालाब का भी सौन्दर्यीकरण करा दिया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- जल-जीवन हरियाली मद में बची हुई राशि है, अन्य तालाबों के सौन्दर्यीकरण हेतु अगली बैठक में संलेख रखा जाय। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- तालाबों का सौन्दर्यीकरण होने से आम नागरिकों को भ्रमण में सुविधा होगी। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 61:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा क्रमांक 01 एवं 02 पर अंकित योजनाओं को 15वें वित्त के SWM मद में शामिल करने एवं इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, जो निम्नवत् है:-**

S.No	Name of Work	Estimated Amount
1	Development of Pond Near Big Hospital in Ward No.-56 Under Azimabad Division PMC, Patna.	1,47,08,150/-
2	Renovation of Rajendra Agricultural College Talab in Ward No.-30 Under PMC, Patna.	1,97,71,163/-

तथा

क्रमांक 03 पर वर्णित योजना को 15वें वित्त के SWM मद में शामिल करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-

S.No	Name of Work	Estimated Amount
3	Upgradation of Pond Near BSEB Examination Compound at Kumhrar in Ward No.-55	87,91,300/-

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

अ0मद सं0-16:- वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत प्रगति पुरम कॉलनी में मुन्ना यादव के मकान से लेकर राम सुरत बाबु के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

अध्यक्ष :- वार्ड संख्या-03 में भूगर्भ नाला एवं सड़क निर्माण कार्य का घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत प्रगति पुरम कॉलनी में मुन्ना यादव के मकान से राम सुरत बाबू के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 62:- सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-03 अन्तर्गत प्रगति पुरम कॉलनी में मुन्ना यादव के मकान से लेकर राम सुरत बाबु के मकान तक भूगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0मद सं0-17- Impression Service Pvt. Ltd तथा Everst Human Resource Consultant के आउटसोर्स कर्मी का माह दिसम्बर 2022 का वेतन अंचल कार्यालय से सीधे कार्यरत कर्मियों के बैंक खाते में भुगतान करने हेतु विमर्श एवं निर्णय के संबंध में।

आउटसोर्स कर्मी का माह दिसम्बर,2022 को वेतन भुगतान का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

नगर आयुक्त :- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत संलग्न वाहनों तथा सफाई कार्य में कार्यरत मानव बल जो Impression Service Pvt. Ltd तथा Everst Human Resource Consultant के द्वारा माह दिसम्बर,2022 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जिसके भुगतान हेतु प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- Impression Service Pvt. Ltd तथा Everst Human Resource Consultant के द्वारा माह दिसम्बर,2022 का वेतन भुगतान कर्मियों को नहीं होने के कारण उनमें रोष व्याप्त है। यह वेतन कर्मचारियों के सीधे उनके निजी खाते में भुगतान होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का कथन सही है। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 63:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Impression Service Pvt. Ltd तथा Everst Human Resource Consultant के आउटसोर्स कर्मी का माह दिसम्बर 2022 का वेतन यदि एजेंसी शीघ्र भुगतान नहीं करते है तो अंचल कार्यालय से सीधे कर्मियों के बैंक खाते में भुगतान करने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-18 :- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना जँक्शन के पास भेंडिंग जोन निर्माण हेतु भू-खण्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

अध्यक्ष :- भेंडिंग जोन निर्माण हेतु भू-खण्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक के तहत पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत शहरवासियों को पटना जँक्शन के पास फुटपाथ पर विक्रेताओं द्वारा अनियंत्रित रूप से अस्थायी दुकान लगाये जाने के कारण जाम की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसके निदान हेतु पटना जँक्शन के पास भेंडिंग जोन के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

उक्त के क्रम में भेंडिंग जोन के लिए भूमि/स्थल पटना जँक्शन के पास अवस्थित बकरी बाजार में प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब के उत्तर एवं हिन्दुस्तान प्रेस से दक्षिण -पूर्व हुंकार प्रेस के पश्चिम की ओर अवस्थित निगम की भूखंड का चयन किया गया है। जिसका प्रस्तावित क्षेत्रफल

महापौर
पटना नगर निगम

लगभग 2500 वर्गफीट है। यह स्थल पटना जंक्शन व्यवसायिक क्षेत्र में है। जिसपर भेंडिंग जोन निर्माण से लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।

इस संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1237, दिनांक-14.03.2023 के माध्यम से चयनित भूखंड पर परियोजना लिए जाने हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र से पूर्व सशक्त स्थायी समिति से सहमति प्राप्त किया जाना है।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, उक्त भेंडिंग जोन के निर्माण होने से पटना जंक्शन स्थित भेंडरों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। इससे जाम की समस्या दुर होगी। इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती श्वेता राय :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह जनहित का प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्रीमती कावेरी सिंह :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 64 :- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पटना जंक्शन स्थित बकरी बाजार स्थित प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब के उत्तर एवं हिन्दुस्तान प्रेस से दक्षिण-पूर्व तथा हुंकार प्रेस के पश्चिम की ओर अवस्थित लगभग 2500 वर्गफीट निगम की भू-खंड पर भेंड्रिंग जोन के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-19- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न डिजिटल माध्यम से संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने पर संपति धारकों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का प्रावधान पर विमर्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- डिजिटल माध्यम से संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने पर संपति धारकों को 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पति धारकों से सम्पति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह से जून तक 5 प्रतिशत की छूट दिए जाने के कारण उक्त अवधि में राजस्व संग्रहण अन्य माह की तुलना में काफी संतोषजनक रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए डिजिटल माध्यम से यथा- PayPhone, Paytm, whatsapp Chatbot, Googlepay, My Patna Mobile app, Pos Machine एवं RBI के Digital E-rupee से भुगतान करने पर 02 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है। इससे राजस्व संग्रहण में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

श्री आशीष कु० सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव राजस्व संग्रहण में वृद्धि का है। इससे निगमकोष में वृद्धि होगी। इसे पारित किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

उप-महापौर :- निगम के राजस्व संग्रहण वृद्धि का प्रस्ताव है। इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 65:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न डिजिटल माध्यम से संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने पर संपति धारकों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त छुट देने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है।**

अ0मद सं0-20- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत जल उपयोग के आधार पर जल उपभोक्ता शुल्क वसूली करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- जल उपयोग के आधार पर जल उपभोक्ता शुल्क वसूली का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अभी तक कुल 1,87,341 जल उपभोक्ता हैं, जिनसे एकमुश्त निम्न प्रकार से जल संयोजन शुल्क लिया जाता है:-

क. घरेलू गृह जल संयोजन शुल्क :- 940/-

महापौर
पटना नगर निगम

ख. गैर घरेलू जल संयोजन शुल्क - 1455/-
ग. व्यवसायी जल संयोजन शुल्क - 2095/-

बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 के धारा 128(i) अन्तर्गत पटना नगर निगम जल संयोजन शुल्क के अलावा जल उपभोक्ता शुल्क लेने का प्रावधान है जो कि अभी तक नहीं लिया जा रहा है। दूसरे राज्य जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश आदि में जल उपभोक्ता शुल्क वसूली कर संबंधित व्यय का भुगतान किया जा रहा है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक-19.08.2021 को संकल्प के माध्यम से मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, AMRUT योजना एवं ADB से प्रदान ऋण के तहत राज्य योजना से संपोषित योजना के अन्तर्गत हर घर नल-जल योजना के तहत दिए गए पेयजल उपभोक्ता से उपयोग शुल्क वसूली करने के लिए ''पेयजल उपयोग शुल्क(Water User Charge) नीति, 2021 प्रकाशित की गयी है।

उक्त नीति में 05 वर्षों तक रख-रखाव भी करना है। जिसके अन्तर्गत ऑपरेटर की नियुक्ति, पाईप लिकेज की मरम्मति, मोटर, पम्प, बोरिंग, जलमीनार में किसी प्रकार की खराबी का मरम्मति का दायित्व संवेदक को होगी।

रख-रखाव कार्य हेतु प्रत्येक वर्ष संवेदक को नगर निकाय द्वारा अनुमान्य राशि का भुगतान किया जायेगा। रख-रखाव के अतिरिक्त मोटर /पम्प के लिए विद्युत विपत्र का भुगतान निकाय को करना होगा को ध्यान में रखते हुए निगम पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े इसलिए लाभान्वितों से प्रति माह कितना जल संयोजन शुल्क लिया जाय, का प्रस्ताव विचार विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदया, बिहार सरकार की नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा संकल्प के माध्यम से पेय जल उपयोग शुल्क नीति 2021 लाया गया है। जिसके तहत शहरी क्षेत्र के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग पेय जल उपयोग शुल्क देने की बात कही गयी है। जैसे- घरेलू उपयोग, व्यवसायिक उपयोग, सरकारी संस्थान उपयोग, गैर सरकारी संस्थान एवं औद्योगिक इकाई को पेय जल उपयोग के एवज में अलग-अलग दर से भुगतान करना पड़ेगा। घरेलू उपयोग हेतु प्रोपर्टी टैक्स की देयता राशि के आधार पर पेय जल उपयोग शुल्क देने की

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

महापौर
पटना नगर निगम

बात कही गयी है। जैसे 0-1 हजार रू0 तक प्रोपर्टी टैक्स देने वालों को पेय जल उपयोग शुल्क के रूप में 40 रू0, 1001 से 2000 रू0 तक प्रोपर्टी टैक्स देने वालों को 65 रू0, 2001 से 3000 रू0 तक प्रोपर्टी टैक्स देने वालों को 120 रू0 तथा 3001 एवं उससे अधिक प्रोपर्टी टैक्स देने वाले उपभोक्ता को 150 रू0 प्रति माह पेय जल उपयोग शुल्क के रूप में देना होगा। जो व्यवहारिक नहीं है। पूर्व में जब नगरपालिका क्षेत्र में कचरा संग्रहण शुल्क लेने संबंधी नीति आयी थी तो उसमें नगरपालिका का अधिकार था कि वो नारिकों के हितों को देखते हुए कचरा संग्रहण शुल्क को कम या ज्यादा कर सकती है। पर इस नीति में ये अधिकार निकायों को प्राप्त नहीं है। इस नीति में पेय जल उपयोग शुल्क को होल्डिंग टैक्स के साथ लेने की बात कही गयी है। ये भी मेरी समझ से ठीक नहीं है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127(घ) में जल कर लेने की बात कही गयी है। वहीं धारा 128(1) के तहत जलापूर्ति के एवज में शुल्क लेने का अधिकार दिया गया है। दोनों विषय अलग-अलग है। कर के साथ हम शुल्क नहीं ले सकते है। अतः मेरा सुझाव होगा कि उपर्युक्त विषय को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त महोदय एक बार नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। तब इस प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ लायें तो ठीक होगा।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के विचार से सहमत हूँ।

नगर आयुक्त :- सशक्त स्थाई समिति एवं निगम बोर्ड से स्वीकृति के पश्चात् इस बिन्दु पर विनियम (Regulation) बना कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा जाना अपेक्षित है।

प्रस्ताव संख्या-66 :- <u>सर्वसम्मति से पेय जल उपयोग नीति 2021 पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पेयजल उपयोग से संबंधित विनियम बनाकर सशक्त स्थायी समिति एवं निगम पर्षद से स्वीकृति उपरान्त विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाय।</u>

महापौर
पटना नगर निगम

अ०मद सं0-21:- **पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क वसूली की सुविधा Phone pe, Paytm एवं BBPS के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्तावित नि:शुल्क सुविधा पर विमर्श करने के संबंध में।**

अध्यक्ष :- संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क वसूली की सुविधा Phone pe के माध्यम से नि:शुल्क करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सम्पत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान फोन-पे के माध्यम से सुविधा प्राप्त किये जाने हेतु पटना नगर निगम को एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये पत्र एवं प्रस्ताव दिनांक-12.04.2023 के आलोक में PhonePe Active होने के उपरान्त पटना नगर निगम के सम्पति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क का भुगतान करने हेतु संबंधित फर्म द्वारा नि:शुल्क सेवा प्रदान किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। संबंधित फर्म द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली फोन-पे सुविधा निम्नवत् है :-

1. Enabling UPI Payments Via Static QR at Physical billing conters.
2. Enabling UPI Payments Via Static QR for door to door collection.
3. Enabling UPI Payments bill copies Via Dynamic or Redirection QR.
4. Enabling UPI Payments Via PhonePe direct intergration on corporation website and application.
5. Enabling Patna Municipal Corporation on PhonePe app in Municipal tax category via BBPS

जिस पर विचार-विमर्श हेतु सशक्त स्थायी समिति के समक्ष रखा गया है।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव निगमहित में है, इसे पारित किया जाय।

श्री विनोद कुमार :- अच्छा प्रस्ताव है, इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0 **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संपति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क वसूली की सुविधा Phonepe, Paytm एवं BBPS के माध्यम से नि:शुल्क सुविधा**

महापौर
पटना नगर निगम

उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए निगम पर्षद को अनुशंसित किया जाता है, एजेन्सी द्वारा निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी :-

1. Enabling UPI Payments Via Static QR at Physical billing conters.
2. Enabling UPI Payments Via Static QR for door to door collection.
3. Enabling UPI Payments bill copies Via Dynamic or Redirection QR.
4. Enabling UPI Payments Via PhonePe direct intergration on corporation website and application.
5. Enabling Patna Municipal Corporation on PhonePe app in Municipal tax category via BBPS

अ०मद सं0-22- **डा0 शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनापत्ति के संबंध में।**

अध्यक्ष :- डा0 शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनापत्ति का प्रस्ताव है, अपना-अपना मंतव्य दें।

नगर आयुक्त :- पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा, राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के उत्तर दिशा में मौजा-काजीपुर, थाना नं०-04, खेसरा संख्या-349, रकबा-504 वर्गफीट भूखण्ड पर स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का अनुरोध किया गया है।

तद्आलोक में डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा, राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के उत्तर दिशा में मौजा-काजीपुर, थाना नं०-04, खेसरा संख्या-349, रकबा-504 वर्गफीट भूखण्ड पर स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, पद्मश्री डा0 शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति थे। इनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में संकल्पित रहा है। इसलिए इनके आदमकद प्रतिमा स्थापित होने से लोगों में इनके जीवनी के बारे जागरूकता पनपेगी एवं इससे निगम की छवि भी अच्छी होगी। मेरे विचार से पद्म श्री डा0 शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

श्रीमती कावेरी सिंह	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।
श्री बिनोद कुमार	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।
श्रीमती श्वेता राय	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।
श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी	:-	माननीया अध्यक्ष महोदया, प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 68:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज के उत्तर दिशा में मौजा-काजीपुर, थाना नं०-04, खेसरा संख्या-349, रकवा-504 वर्गफीट भूखण्ड पर पद्म श्री डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव की आदमकद प्रतिमा, स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अ0मद सं0-23:- **काजीपुर रोड संख्या- 04 आर०के० एवेन्यु पथ से होते हुए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं श्री अरविन्द महिला कॉलेज के चाहरदीवारी के उत्तरी छोर तक के पथ के निर्माण/मरम्मति कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

अध्यक्ष :- पथ के निर्माण/मरम्मति कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

नगर आयुक्त :- काजीपुर रोड संख्या- 04 आर०के० एवेन्यु पथ से होते हुए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं श्री अरविन्द महिला कॉलेज के चाहरदीवारी के उत्तरी छोर तक के पथ का मरम्मति कार्य कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 1884 अनु०, दिनांक-21.06.2023 द्वारा सूचित किया है कि उच्चाधिकारियों द्वारा उक्त पथ के निर्माण/मरम्मति हेतु उन्हें निदेश प्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया गया है कि चूंकि वर्णित पथांश पटना नगर निगम के स्वामित्व में है।

अतः पथ निर्माण विभाग द्वारा पथ में कार्य कराये जाने हेतु कार्य का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना पटना नगर निगम से अपेक्षित है। पथ की वर्तमान लम्बाई 400मीटर एवं Right of Way की चौड़ाई 6 मीटर (av) है।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

सीता साहू
महापौर
पटना नगर निगम

निर्माण/मरम्मति कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन संसूचित करने हेतु सशक्त स्थायी समिति से विमर्श अपेक्षित है।

1. पथ निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्णित कार्य शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पथों में जल-जमाव न हो एवं सामान्य यातायात सुचारू हो सके।
4. पथ का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- माननीया अध्यक्ष महोदया, प्राचार्या, अरविन्द महिला कॉलेज के अनुरोध एवं विद्यार्थियों के आवगमन व जनहित को ध्यान में रखते हुए इस शर्त पर स्वीकृति दी जा सकती है कि उक्त पथ का स्वामित्व पटना नगर निगम का रहेगा। नगर निगम के शर्तों के अधीन कार्य करेंगे।

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, यह प्रस्ताव विद्यार्थियों के हित में है। माननीय सदस्य के विचार से मैं सहमत हूँ। पथ निर्माण विभाग पटना नगर निगम के शर्तों के अधीन कार्य करेंगे।

श्री बिनोद कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 69:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि काजीपुर रोड संख्या- 04 आर०के० एवेन्यु पथ से होते हुए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय एवं श्री अरविन्द महिला कॉलेज के चाहरदीवारी के उत्तरी छोर तक के पथ के निर्माण/मरम्मति कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति द्वारा सशर्त स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो निम्नवत् है :-**

1. पथ निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।
2. कार्य के दौरान यातायात में कोई रूकावट नहीं हो, सुनिश्चित करना होगा।
3. वर्णित कार्य शीघ्र समाप्त करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पथों में जल-जमाव न हो एवं सामान्य यातायात सुचारू हो सके।
4. पथ का मालिकाना हक पटना नगर निगम का ही रहेगा।

(हस्ताक्षर)
महापौर
पटना नगर निगम

पटना नगर निगम
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

श्री विनोद कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदया, पटना सिटी अंचल के तहत वार्ड संख्या-67 में काफी जल-जमाव होते रहता है। जिसके कारण नागरिकों को आने-जाने में कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि उक्त क्षेत्र में पी०सी०सी० सड़क एवं नाला का निर्माण किया जाय।

श्री मनोज कुमार :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-67 में बगीचा की गली से बटाउ कुआँ एवं गढ़ही पर नाला एवं रोड बनाने की आवश्यकता है। इसके बनने से जल-जमाव की समस्या दूर होगी। इन दोनों योजनाओं की प्राक्कलित राशि 19,09,800 एवं 2,26,700 /- है, जिसको प्रशासनिक स्वीकृति दिया जा सकता है।

श्री इन्द्रदीप कु० चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड संख्या-67 में जल-जमाव दूर करने हेतु नाला एवं पी०सी०सी० सड़क बनाने स्वीकृति दी जा सकती है।

उप-महापौर :- वार्ड संख्या-67 के नागरिकों के हित को देखते इसे पारित किया जाय।

प्रस्ताव सं0- 70:- **<u>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या-67 अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति को सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-</u>**

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Construction of PCC Road & RCC Drain at Bagicha ki Gali Bataun Kuan in ward no.67 under patna city division PMC, patna	19,09,800.00
2	Construction of Under ground Drain & Road in Garhi Par in ward no 67 under patna city division PMC, patna	2,26,700.00

श्री इन्द्रदीप कु0 चन्द्रवंशी :- माननीया अध्यक्ष महोदया, वार्ड सभा द्वारा चयनित वार्ड संख्या-34 की कच्ची नाली गली योजना अन्तर्गत लिये गये योजना Construction of Under ground Drain & Pcc Road From Rental Flat no. 373 to flat no. 382 का चयन किया गया। परन्तु भूलवश नगर आयुक्त के पत्रांक-8386, दिनांक-18.06.2022 द्वारा निर्गत आदेश में Construction of Under ground Drain & Pcc Road From Rental Flat no. 373 to flat no. 382 में 373 ही दर्ज हो सका है। जिसमें सुधार करने की जरूरत है। अतः महोदय से अनुरोध है कि नगर आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश में सुधार करते हुए योजना का नाम पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-34 अन्तर्गत रेन्टल

महापौर
पटना नगर निगम

फ्लैट 373 से 382 तक भुगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य करते हुए शीघ्र संशोधित आदेश निर्गत किया जाय।

श्री आशीष कु0 सिन्हा :- मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूँ। आंशिक टंकणीय भूल के कारण योजना पूर्ण कराने में दिक्कत आ रही है। उसे संशोधन करते हुए आदेश निर्गत कर योजना पूर्ण करायी जा सकती है।

प्रस्ताव सं0- 71:- **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सभा द्वारा चयनित कच्ची नाली-गली योजना यथा-पटना नगर निगम के वार्ड संख्या-34 अन्तर्गत रेन्टल फ्लैट 373 से 382 तक भुगर्भ नाला एवं पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य संबंधी संशोधित आदेश निर्गत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

अध्यक्ष :- बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए समाप्ति की घोषणा की जाती है।

सीता साहू 21/7/23

(सीता साहू) महापौर
पटना नगर निगम
अध्यक्ष,
पटना नगर निगम, पटना।

प्रतिलिपि :- माननीया महापौर/ माननीय उप-महापौर/ माननीय सदस्य, सशक्त स्थायी समिति/ नगर आयुक्त/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नगर सचिव,
पटना नगर निगम,पटना।

पटना नगर निगम PATNA MUNICIPAL CORPORATION

26/07/23